

दूसरी सेवाओं के अधिकारी भी बनेंगे आइएएस पटना :

प्रोन्नति के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त दूसरी सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों को भी मौका मिलेगा। मगर विशेष परिस्थिति में। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को पत्र लिखा है। पत्र के अनुसार हर विभाग विभागीय प्रधान सचिव-सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करेगा और अपने यहां से एक नाम की अनुशंसा करेगा। शर्त यह कि पहली जनवरी 2012 को अनुशंसा किए जाने वाले अधिकारी की उम्र 54 वर्ष से ज्यादा न हो। और कम से कम 8 वर्ष तक लगातार राजपत्रित पद पर काम करने का अनुभव हो। अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण के हों तथा उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप न हो। 30 जून 2012 तक अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया गया है।